क्रम संख्या–067 (क)

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०एन०–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई०
ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 219 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 में दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2002 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 09, सन् 2002)

राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय—एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1 (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अल्प—संख्यक आयोग अधिनियम, 2002 कहा जायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा.

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा सरकार इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा नियत करें.

परिभाषायें:

2. इस अधिनियम मे जब तक की सन्दर्भ से प्रतिकूल आशयित न हो:

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग से है.

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराचल की सरकार से है.

(ग) "सदस्य" का तात्पर्य आयेाग के सदस्य से है, और इसमें आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित है.

(घ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में अधिसूचित किसी समुदाय से है.

अध्याय—दो
आयोग

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग का गठन.

3. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करनें के लिये सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग के नाम से जाना जायेगा.

(2) आयोग में प्रतिष्ठा, योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और दो सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे. परन्तु अध्यक्ष सहित दो सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय में से होगे.

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनें पद धारण करनें के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा.

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को सम्बोधित सहस्ताक्षरित पत्र द्वारा यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी समय पर त्यागपत्र दे सकता है.

(3) सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्तिः—

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है.

(ख) किसी अपराध के लिये जिससें सरकार की राय में नैतिक अधमता अर्न्तग्रस्त हैं, सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डित किया जाता है.

(ग) विकृत चित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है.

(घ) कार्य करनें से इन्कार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है.

(ड) आयेाग से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित होता है.

(च) सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य की किसी स्थिति का किसी प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिये हानिकारक हो गया है.

परन्तु किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस मामले में सुने जाने का युक्ति—युक्त अवसर न दें दिया गया हो.

2021.10.30 19:48

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते ऐसी होगीं जैसी विहित की जायें.

5. (1) सरकार इस विधेयक के अधीन आयोग द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिये एक सचिव एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो आवश्यक हो, व्यवस्था करेगी. — आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते ऐसी होगी जैसी विहित की जाऐं.

6 अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा–5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित है, का भुगतान धारा–10 की उपधारा(1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायेगा. — वेतन और भत्ते का अनुदानों से दिया जाना

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी — रिक्तियों इत्यादि आयोग की कार्यवाहियों को अविधि मान्य नहीं करेगी

8. (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझें, अपनी बैठक करेगा. — आयोग द्वारा प्रकिया विनियमित किया जाना

(2) आयोग स्वयं अपनी प्रकिया विनियमित करेगा.

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चिय सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया जाय, अधिप्रमाणित किये जायेगें.

अध्याय–तीन
आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात– — आयोग के कृत्य

(क) उत्तरांचल में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्याकंन करना;

(ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों / विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना;

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना;

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध मे विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(ड) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना;

(छ) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना;

(ज) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना; और,

(झ) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय.

(2) सरकार उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी

(3) आयोग को उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में यह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित हैं और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना.

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय.

अध्याय : चार
वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

सरकार द्वारा अनुदान

10. (1) सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि, जैसा सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी.

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) मे निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायगा.

वार्षिक रिपोर्ट

11. (1) आयोग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र तैयार करवायेगा जैसा सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय.

लेखा और लेखा परीक्षा

(2) लेखों के वार्षिक विवरण और बैलेन्स शीट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी लेखा परीक्षा करायेगी.

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रपत्र में, और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा.

13. सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र उनसे दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी.

अध्याय पांच
प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

14. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा.

2021.10.30 19:4

15. जो कोई धारा–9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करेने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस आदेश के निवेश की अवज्ञा करे तो यथास्थिति; भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1960) की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा। — शास्ति

16. कोई न्यायालय धारा 15 में विनिर्दिष्ट अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं। — अपराध का संज्ञान

17. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकती है। — नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित, समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात

(क) धारा–4 की उपधारा–5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों और धारा–5 की उपधारा–(2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें;

(ख) धारा 9 की उपधारा–3 खण्ड (ख) के अधीन कोई अन्य मामला.

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 11 की उपधारा(1) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायेगा.

(घ) प्रारूप जिसमें और समय जिस पर धारा 12 के अधीन लेखों का वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी.

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाय.

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो. — कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दियां जायेगा.

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23(क) की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगें जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं.

19. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 एतदद्वारा, जहां तक उत्तरांचल राज्य में लागू होने का प्रश्न है इस अधिनियम की धारा–1 की उपधारा–3 के अधीन प्रवृत्त अधिसूचना की तिथि से निरसन लिया जाता है. — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 का निरसन

आज्ञा से,

(आर0 पी0 पाण्डेय)

सचिव।

2021.10.30 19:48